न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

न0:–215 / 2025

परमजोत सिह
समरजोत सिह } पि0 खड़कसिह जाति जटसिख निवासी 8 बी. एल. एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर जरिये मुखत्यारेखास खड़क सिह पुत्र तेजासिह जाति जटसिख निवासी 8 बी. एल. एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

प्रार्थीगण

बनाम्

1. कुलवन्त सिह पुत्र हरनेकसिह जाति जटसिख निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 धारा 251ए आरटीए.

उपस्थिति :–श्री सुभाष गर्ग अधिवक्ता वादी

श्री करनैलसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक: 23/2/26

प्रार्थना पत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के नाम से चकनं0 20 के. एन. एन. के खाता सं0 241 / 178 में कुल 2.480 है0 अनकमाण्ड, नहरी मय गै०मु० आराजी व०हि०ब० दर्ज राजस्व रिकार्ड है व अप्रार्थी सं० 1 कुलवन्तसिह के नाम से चक नं0 20 केएनएन के खाता सं0 23/28 में कुल 3.946 है० नहरी, अ०क० मय गै०मु० आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दीयाँ संलग्न प्रार्थना पत्र है । प्रार्थी सं0 1 व 2 ने अपनी आराजी बाबत अपना मुखत्यारे खास अपने पिता खड़कसिह को नियुक्त किया हुआ है इसलिए प्रार्थना पत्र जरिये मुखत्यारे खास की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। मुखत्यारनामा खास की फोटो प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। चक नं0 20 केएनएन के प0न0 277/368 मु0 43 किलानं0 5/3 में 0.025 है० गै०मु० रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है । प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी में आवागमन के लिए कोई स्वीकृत रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि किलानं0 6 में आवागमन करने के लिए चक नं0 20 केएनएन के प0न0 277/368 मु0 43 किलानं0 5/1 में से रास्ता की आवश्यकता है तथा उक्त रास्ता प्रार्थी के लिए कम दूरी का रास्ता है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में मन्जुर नही है। इसलिए प्रार्थी चक 20 केएनएन के प0न0 277/368 मु0 43 किलानं0 5/1 में .014 है0 पश्चिमी दिशा में उतर से दक्षिण रास्ता मंजूर करवाना चाहते है तथा रास्ता की भूमि के बदले में प्रार्थीगण चक नं0 20 केएनएन के प0न0 277/368 मु0 43 किलानं0 6/4 मे से .014 है० उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम, उतरी पश्चिमी कॉर्नर को छोड़ कर भूमि देने को तैयार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति का है जो पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है जो काबिल समायत अदालत हाजा के है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 20 केएनएन के प0न0 277/368 मु0 43 किलानं0 5/1 में .014 है0 पश्चिमी दिशा में उतर से दक्षिण रास्ता स्वीकृत किया जाकर रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, अप्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता सहमति का जवाब प्रार्थना पत्र पेश

किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 पते से सम्बन्धित है जो स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में प्रार्थीगण के नाम से चकनं0 20 के. एन. एन. के खाता सं0 241/178 में कुल 2.480 है0 अनकमाण्ड, नहरी मय गै०मु० आराजी व०हि०व० व अप्रार्थी सं० 1 कुलवन्तसिह के नाम से चक नं0 20 केएनएन के खाता सं0 23/28 में कुल 3.946 है0 नहरी, अ०क० मय गै०मु० आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे दर्ज तथ्य स्वीकार है। चक नं0 20 केएनएन के प०न० 277/368 मु0 43 किलानं0 5/3 में 0.025 है0 गै०मु० रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है । प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी में आवागमन के लिए कोई स्वीकृत रास्ता नही है । प्रार्थीगण को अपनी भूमि किलानं0 6 में आवागमन करने के लिए चक नं० 20 केएनएन के प०न० 277/368 मु0 43 किलानं0 5/1 में से रास्ता की आवश्यकता है तथा उक्त रास्ता प्रार्थी के लिए कम दूरी का रास्ता है व उक्त रास्ता मौका पर चालू है । इसलिए चक 20 केएनएन के प0न0 277/368 मु0 43 किलानं0 5/1 में .014 है0 पश्चिमी दिशा में उतर से दक्षिण रास्ता मंजूर किया जाकर तथा रास्ता की भूमि के बदले में प्रार्थीगण के नाम की चक नं० 20 केएनएन के प0न0 277/368 मु0 43 किलानं0 6/4 मे से .014 है0 उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम, उतरी पश्चिमी कॉर्नर को छोड़ कर भूमि मुझ अप्रार्थी सं० 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर प्रार्थीगण का हिस्सा कम किया जाता है तो मुझ अप्रार्थी को कोई उज्र व एतराज नही है । इसी अनुसार हमारा आपस में राजीनामा हो गया है। मैं अप्रार्थी इससे पूर्णतया सहमत हूँ। प्रार्थना पत्र की दफा 4 कानूनी है। लिहाजा जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 20 केएनएन के प0न0 277/368 मु0 43 किलानं0 5/1 में .014 है0 पश्चिमी दिशा में उतर से दक्षिण रास्ता स्वीकृत किया जाकर, गै०मु० रास्ता का अंकन कर तथा रास्ता की भूमि के बदले में प्रार्थीगण के नाम की चक नं० 20 केएनएन के प०न० 277/368 मु0 43 किलानं0 6/4 मे से .014 है0 उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम, उतरी पश्चिमी कॉर्नर को छोड़ कर भूमि मुझ अप्रार्थी सं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर प्रार्थीगण का हिस्सा कम किया जाता है तो मुझ अप्रार्थी को कोई उज्र व एतराज नही है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी, दौराने बहस वकल उभयपक्ष ने मुताबिक प्रार्थी अनुतोष प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर स्वीकृत रास्ते की भूमि के बदले में अप्रार्थी को भूमि दिया जाकर प्रार्थी का हिस्सा कम किया जावे। बहस पर मनन किया पत्रावली का अलवोकन किया गया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए के प्रावधानो के सुसंगत होने व उभयपक्ष की सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर चक 20 केएनएन के प0न0 277/368 मु0 43 किलानं0 5/1 में .014 है0 पश्चिमी दिशा में उतर से दक्षिण रास्ता स्वीकृत किया जाता है व रास्ता की भूमि के बदले में प्रार्थीगण के नाम की चक नं० 20 केएनएन के प०न० 277/368 मु0 43 किलानं0 6/4 मे से .014 है0 उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम, उतरी पश्चिमी कॉर्नर को छोड़ कर भूमि मुझ अप्रार्थी सं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर प्रार्थीगण का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार रास्ते का राजस्व रिकोर्ड में अंकन करे।

(सु[illegible]नारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।